



पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर (छ.ग.)



ACCREDITED BY NAAC WITH GRADE "A"

क्रमांक : 6046 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018

रायपुर, दिनांक: 24 / 03/2018

विश्वविद्यालय विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 23.03.2018 अपराह्न 04.00 बजे विश्वविद्यालय प्रशासनिक भवन के कुलपति सचिवालय के बैठक-कक्ष में सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित रहे -

1. प्रो. एस.के. पाण्डेय, कुलपति	-	अध्यक्ष
2. डॉ. (श्रीमती) शैल शर्मा	-	सदस्य
3. डॉ. राजीव चौधरी	-	सदस्य
4. डॉ. एच.के. पाठक	-	सदस्य
5. डॉ. बशीर हसन	-	सदस्य
6. डॉ. ए.के. श्रीवास्तव	-	सदस्य
7. डॉ. विजय अग्रवाल	-	सदस्य
8. डॉ. (श्रीमती) मोयना चक्रवर्ती	-	सदस्य
9. डॉ. सी.एल. पटेल	-	सदस्य
10. डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ	-	सदस्य
11. डॉ. संदीप वनसूत्रे कुलसचिव	-	सचिव

बैठक में निम्नलिखित निर्णय लिये गये :-

कार्यवृत्त :-

01. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.02.2018 के कार्यवृत्त को सम्पुष्टि प्रदान करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.02.2018 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि की गई।

02. विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.02.2018 का पालन प्रतिवेदन का अनुमोदन करना।

निर्णय: विद्या-परिषद् की स्थायी समिति की बैठक, दिनांक 23.02.2018 के पालन प्रतिवेदन का सूचना ग्रहण किया गया।

03. अस्थायी सम्बद्धता प्रदान करने हेतु

क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा / विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(i)	शास. दाऊ कल्याण कला एवं वाणिज्य महा. बलौदाबाजार	B.Sc.-II- Biotechnology [Group-A Biotech.+Botany+C hemistry] [Group-B Biotech.+Zoology +Chemistry]	30 (15+15)	2017-18	1. प्रो. एस.के. जाधव, अध्यक्ष, बायोटेक्नालॉजी अ. शा. पं. र.शु.वि.वि. रायपुर 2. डॉ. के.के. साहू, बायोटेक्नालॉजी अ.शा. पं. र.शु. वि.वि. रायपुर
	स्थापना वर्ष- 1962-63				
	निरीक्षण तिथि : 17.02.2018				
	<p>1. महाविद्यालय में अधोसंरचना निर्माणाधीन है, जो बी.एस.-सी. की कक्षाओं के लिये पर्याप्त है।</p> <p>2. महाविद्यालय में शिक्षक का एक पद शासन के द्वारा स्वीकृत है, जिसमें अतिथी व्याख्याता शिक्षक पदस्थ है। बी.एस.सी. की कक्षाओं के लिये कम से कम एक शिक्षक की आवश्यकता और होगी।</p> <p>3. पुस्तकालय में 158 पुस्तकें विषय से संबंधित हैं, छात्र संख्या के अनुसार पुस्तकों की और आवश्यकता होगी।</p> <p>4. प्रयोगशाला में उपकरणों की कमी है, प्रायोगिक कार्यों के लिये पर्याप्त नहीं है।</p>				

कार्यवृत्त - विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.03.2018

निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					
क्र.	महाविद्यालय का नाम	कक्षा/विषय	छात्र संख्या	सत्र	निरीक्षण समिति के सदस्य
(ii)	शासकीय महावि. गोबरा नवापारा	B.Sc.-II- Physics, Maths	60	2017-18	1. डॉ. अमिताभ बैनर्जी, प्राचार्य, शास. महा. नगरी सिहावा 2. डॉ. समीर ठक्कर, प्रो. भौतिक विभाग, शास. नागार्जुन स्नातकोत्तर विज्ञान महा. रायपुर
स्थापना वर्ष -2009-10 शासन का आदेश - एफ 3-44/16/38 -1 दि. 12.08.2016					
निरीक्षण तिथि : 12.03.2018					
1. पूर्व में प्राप्त सम्बद्धता का विवरण - बी.एससी. भाग-1 (60 सीट) (संलग्न क्र. 03)					
2. उपलब्ध सुविधाएं - स्वीकृत पद- (संलग्नक क्र. 02, 09) फर्नीचरों की संख्या - 750 (पर्याप्त) प्रयोगशाला की संख्या - 06 (पर्याप्त) उपकरणों की उपलब्धता - पाठ्यक्रमानुसार अतिरिक्त उपकरणों का क्रय आवश्यक (संलग्न क्र. 12) कम्प्यूटरों की संख्या- 50 प्रिंटर की संख्या - 10 इंटरनेट की व्यवस्था - उपलब्ध है ग्रंथालय में विषय में संबंधित पुस्तकों की संख्या - पाठ्यक्रमानुसार अतिरिक्त पुस्तकों का क्रय आवश्यक (संलग्नक क्र. 14)					
निर्णय: अस्थायी सम्बद्धता प्रदान किये जाने हेतु निरीक्षण समिति द्वारा उल्लेखित बिंदुओं की पूर्ति तीन माह के अंदर करने के शर्त पर अस्थायी सम्बद्धता दिये जाने की अनुशंसा की गई।					

04. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2018 की अनुशंसानुसार M.Tech. Optoelectronics and Laser Technology का संशोधित अध्यादेश 178 तथा नवीन रेगुलेशन पुनः परीक्षण पश्चात् अनुमोदनार्थ प्रस्तुत।

निर्णय: M.Tech. Optoelectronics and Laser Technology का संशोधित अध्यादेश 178 तथा नवीन रेगुलेशन का अनुशंसा किया गया।

05. Intellectual Property Right Policy के Draft रेगुलेशन के संबंध में विचार करना।

निर्णय: Intellectual Property Right Policy के Draft रेगुलेशन का परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने हेतु निम्नानुसार समिति का गठन किया गया -

- (1) डॉ. मिताश्री मित्रा, प्राध्यापक, अध्यक्ष, क्षेत्रीय अध्ययनशाला
- (2) डॉ. एच.के. पाठक, अध्यक्ष, गणित अध्ययनशाला
- (3) डॉ. बशीर हसन, प्राध्यापक, मनोविज्ञान अध्ययनशाला
- (4) डॉ. (श्रीमती) स्वर्णलता सराफ, प्राध्यापक, फार्मसी संस्थान

06. विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनांक 23.02.2018 की अनुशंसानुसार अध्यादेश-45 के परीक्षण हेतु गठित समिति द्वारा प्राप्त अध्यादेश-45 में आंशिक संशोधन सुझाव के संबंध में विचार करना।

निर्णय: अध्यादेश-45 की कतिपय बिन्दुओं पर विसंगति होने के कारण पूर्व गठित समिति के द्वारा पुनः परीक्षण कर आगामी बैठक में प्रस्तुत किये जाने की अनुशंसा की गई।


07. सत्र 2017-18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु महाविद्यालयों की सूची का अनुमोदन करना।

निर्णय: निम्नलिखित महाविद्यालयों को सत्र 2017-18 की वार्षिक संबद्धता आदेश प्रदान करने हेतु अनुशंसा की गई :-

क्र.	शासकीय महाविद्यालय
1	शास. मिनीमाता कन्या महाविद्यालय, बलौदाबाजार, जिला-बलौदाबाजार-भाटापारा
2	शास. माता कर्मा कन्या महाविद्यालय, महासमुद
अशासकीय महाविद्यालय	
1	शाम्भवी स्कूल आफ एजुकेशन स्ट्रीट-देवरभाटा, ग्राम-धुसेरा, पो.-अमनपुर, जिला-रायपुर (सत्र 2013-14 एवं 2014-15 के लिये)

अध्यक्ष को धन्यवाद ज्ञापन के साथ कार्यवाही सम्पन्न हुई।


कुलपति
अध्यक्ष


कुलसचिव
सचिव

पृ. क्रमांक : 6047 / अका. / वि.प.स्थायी समिति / 2018
प्रतिलिपि :-

रायपुर, दिनांक: 24/03/2018

1. समस्त संकायाध्यक्षों को,
2. उ.कु.स. गोपनीय/परीक्षा,
3. वित्त नियंत्रक/अंकेक्षण,
4. कुलपति के सचिव/कुलसचिव के निजी सहायक, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु अग्रेषित।


उप कुलसचिव (अका.)

